जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
172/2015
A3

अपील सूचना अधिकार संख्या 172/2015 अनवानी श्री दर्शन सिंह पुत्र श्री वजीर सिंह गांव 36 बीबी पो0ओ0 35 बीबी गजसिंहपुर बनाम लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर

22–11–2016

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित नही है। अध्यक्ष मैनेजिंग कमेटी, परमानंद डिग्री कॉलेज, गजसिंहपुर के अभिभाषक श्री पी.डी. लूथरा उपस्थित है। उन्हें सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अध्यक्ष मैनेजिंग कमेटी, परमानंद डिग्री कॉलेज, गजसिंहपुर के अभिभाषक श्री पी.डी. लूथरा का कथन है कि उक्त कॉलेज की संस्था राज्य सरकार से वित पोषित संस्था नही है। इसलिए सूचना अधिकार अधिनियम इस पर लागू नही होता है। इसलिए अपीलार्थी उक्त संस्थान से किसी प्रकार की सूचना प्राप्त करने का हकदार नही है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री दर्शन सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 24.09.2015 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थीः–

1. परमानन्द डिग्री कॉलेज गजसिंहपुर, जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान प्रबन्ध समिति के चुनाव कब हुए, निर्वाचित सदस्यों की सूची की प्रमाणित प्रति
2. क्या उक्त महाविद्यालय को राज्य सरकार से अनुदान मिलता है? कितना? कब तक मिला के रिकार्ड की प्रमाणित प्रति।

चूंकि उक्त संस्थान कोई राजकीय संस्थान नही है और न ही राज्य सरकार से किसी प्रकार से अनुदानित संस्था है। इसलिए सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान उक्त संस्थान पर लागू नही होते है। इसलिए निम्न हस्ताक्षरकर्ता को उक्त संस्थान के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नही है। इसलिए इसी आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति प्रबंधक, परमानंद डिग्री कॉलेज गजसिंहपुर को भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 22.11.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञानाराम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर